राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव के अंतर्गत

सीएसआईआर-सीरी में बौद्धिक संपदा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

भारत सरकार के **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन** (National Intellectual Property Awareness Mission - NIPAM) द्वारा देशभर में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत कार्यशालाओं/प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से वैज्ञानिक एवं अन्य क्षेत्रों में पेटेन्ट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि से संबंधित विषयों से स्कूलों एवं कॉलेजों की किशोर जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस संबंध में सीएसआईआर मुख्यालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में सीएसआईआर-सीरी, पिलानी में 10-11 जुलाई, 2023 के दौरान दो-दिवसीय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पिलानी एवं निकटवर्ती विद्यालयों - बिरला बालिका विद्यापीठ, नेशनल पब्लिक स्कूल, बिरला स्कूल, सीरी विद्या मंदिर, बिरला शिशु विहार, बिरला पब्लिक स्कूल, राकेश अकैडमी, मंडेलिया स्कूल आदि विद्यालयों तथा बिट्स-पिलानी, बीकेबीआईईटी आदि महाविद्यालयों के 750 से अधिक विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने प्रतिभागिता की। कार्यशाला का संयोजन एवं संचालन आई पी यूनिट के प्रमुख डॉ नीरज कुमार, प्रधान वैज्ञानिक ने किया।

उद्घाटन सत्र में उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए डॉ पी सी पंचारिया, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता सीएसआईआर-सीरी के निदेशक **डॉ पी सी पंचारिया** ने की। अपने आरंभिक संबोधन में डॉ पंचारिया ने विद्यार्थियों का स्वागत किया और उन्हें 'इन्टेलेक्चुल प्रॉपर्टी' का आशय समझाते हुए इसके महत्व से अवगत कराया। विद्यार्थियों के साथ अपने संस्मरण साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश इस समय अत्यंत महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में शामिल करने के लिए हम सभी को अपने कर्तव्य का पालन करना होगा। विद्यार्थियों का आह्वान करते हुए डॉ पंचारिया ने कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक पुन: विश्व गुरु बनाने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने-अपने स्तर पर छोटी से छोटी समस्या या चुनौती पर चितन करते हुए उसका नवाचारी समाधान सुझाना चाहिए। अपने संबोधन में उन्होंने नवाचार शब्द को रेखांकित करते हुए कहा कि नवाचार केवल वैज्ञानिक क्षेत्र में ही हो यह अनिवार्य नहीं है, यह किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश के इस अभियान में वैज्ञानिक, किसान, चिकित्सक, इंजीनियर, सैनिक, मजदूर, शिक्षक आदि के साथ-साथ विद्यार्थियों को भी अपना योगदान देना होगा।

सभागार में उपस्थित छात्र-छात्राएं

कार्यक्रम के संयोजक **डॉ नीरज कुमार**, प्रधान वैज्ञानिक ने दो-दिवसीय कार्यशाला में बौद्धिक संपदा के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित व्याख्यान दिए। उन्होंने अपने रोचक व्याख्यानों में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागी विद्यार्थियों को कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट आदि के महत्व की जानकारी दी एवं इनकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। अपने व्याख्यान में उन्होंने पेटेन्ट प्राप्त करने की विधि और इससे संबंधित अन्य बातों की भी जानकारी दी। परस्पर चर्चा के दौरान डॉ नीरज ने विद्यार्थियों के द्वारा इस रोचक विषय के संबंध में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा शांत की।

दो-दिवसीय कार्यशाला में विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा के संबंध में जानकारी देते हुए डॉ नीरज कुमार, प्रधान वैज्ञानिक

कार्यशाला के सत्र के दौरान उपस्थित विद्यार्थीगण

कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग सत्रों में विद्यार्थियों को वीडियो फिल्म के माध्यम से संस्थान की स्थापना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराया गया। संस्थान के वैज्ञानिकों ने प्रतिभागी विद्यार्थियों को संस्थान के विज्ञान संग्रहालय में सीरी की शोध गतिविधियों एवं उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी।

कार्यशाला के दौरान छात्र-छात्राओं को संस्थान की उपलब्धियों एवं शोध गतिविधियों की जानकारी देते हुए संस्थान के वैज्ञानिक

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (निपम)

यह भारत सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत स्कूल एवं कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों को बौद्धिक संपदा के महत्व से अवगत कराते हुए इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करना है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थियों में नवाचार हेतु विचारों का पोषण करना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) को भारत में आईपीआर के कार्यान्वयन और भविष्य के विकास के समन्वय, मार्गदर्शन और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है।

बौद्धिक संपदा क्या है?

बौद्धिक संपदा (आईपी) आरंभ से ही महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। इसका आशय ऐसी रचनाओं से है जिनका सृजन मनुष्य अपने मस्तिष्क से स्वयं करता है। इसमें वैज्ञानिक आविष्कार, साहित्य और कला संबंधी कार्य, डिज़ाइन; तथा वाणिज्य और व्यापार में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक चिह्न(लोगो), नाम एवं चित्र शामिल हैं। कानून की भाषा में बौद्धिक संपदा (आईपी) को पेटेन्ट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क द्वारा संरक्षित किया जाता है।

मृदुल पत्रिका

राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव के अंतर्गत सीएसआईआर-सीरी में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन

छात्रों को दी पेटेन्ट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट की जानकारी

राजस्थान पत्रिका

झुंझनू पत्रिका

पिलानी में बौद्धिक संपदा जागरूकता कार्यशाला में 650 से ज्यादा विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा